बिहार सरकार
समाहरणालय,कैमूर (भभुआ)
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

Ph No. :- 06189-223241 (O)
Fax No. :- 06189 – 223301
E-mail : dm-bhabua.bih@nic.in

आदेश

मुख्य सचिव, बिहार,पटना के पत्रांक–1837 / दिनांक–21.12.2017 के द्वारा समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय से चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पुराने पेंशनधारी एवं ई–लाभार्थी के डिजिटाईज पेंशनधारी जिन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है, उनका पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिनांक–05.01.2018 से 14.01.2018 एवं फिर 27.01.2018 से 17.02.2018 तक विशेष अभियान (शिविर) के आयोजन करने का निदेश प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत सभी पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के तहत उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। मा0 मुख्यमंत्री की विकास समीक्षा यात्रा में पेंशन भुगतान के संबंध में निम्न बातें प्रकाश में आयी है कि:–

1. पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे कई पेंशनधारियों के नाम पेंशन सूची में छूट गए है।
2. जिन पेंशनधारियों का नाम डिजिटाईज हुआ है उनमें भी कई को पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है।
3. पेंशनधारियों को कितनी राशि किस अवधि के लिए मिली है, इसकी सूचना नहीं प्राप्त हो रही है जिसके कारण भी जनाक्रोश हो रहा है।
4. कतिपय स्थानों पर ग्राहक सेवा केंन्द्र / बैंक से पेंशन राशि की पूर्ण निकासी होने के बाद भी बिचौलियॉ द्वारा राशि काट ली जाती है और पेंशनधारी को कम भुगतान प्राप्त होता है।

उपरोक्त समस्याओं पर हुई समीक्षा के आलोक में निम्न कार्रवाई अपेक्षीत है:–

1. पेंशन राशि निकासी के संबंध में सतत अनुश्रवण रखा जाये और औचक जॉच कराकर बिचौलियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे,साथ ही प्रखण्ड / पंचायत स्तर पर सतत् अनुश्रवण हेतु अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी / कर्मी को प्राधिकृत करेंगे। नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित पंचायत के पेंशनधारियों के भुगतान से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रखण्ड कार्यालय एवं बैंक से समन्वय स्थापित कर कराया जायेगा। साथ ही ई–लाभार्थी से संबधित पेंशनधारियों के किसी भी समस्या का समाधान इनके द्वारा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. छूटे हुए / भुगतान नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारियों के लिए प्रखण्ड स्तर पर दिनांक–05.01.2018 से 14.01. 2018 तक शिविर का आयोजन किया जाय। प्रत्येक प्रखण्ड में उक्त अवधि के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से पंचायत / पंचायतवार समूहवार रोस्टर निर्धारित करेंगे तथा शिविर के संबंध में प्रचार–प्रसार करायेंगे। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कराये जाने वाले शिविर के रोस्टर की सूचना दिनांक 01.01.2018 तक सहायक निदेशक,जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,कैमूर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकतानुसार दुसरे चरण का शिविर दिनांक–27.01.2018 से 17.02.2018 तक चलाई जाय ताकि कोई भी मामला छूटे नहीं। पंचायतों के लिए प्राधिकृत पेंशन के नोडल पदाधिकारी रोस्टर के अनुरूप पंचायतों से वैसे पेंशनधारियों का शिविर में कण्डिका–6 में वर्णित आवश्यक सभी कागजातों / प्रमाणकों के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे जो पेंशन से वंचित हैं अथवा जिन्हें पेंशन की राशि कम प्राप्त हुई है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने–अपने पंचायतों के नोडल पदाधिकारियों को पेंशन से वंचित पेंशनधारियों की सूची दिनांक 03.01.2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नोडल पदाधिकारी इस आशय की सूचना स्थानीय जन प्रतिनिधि को ससमय देगें,ताकि शिविर का सफल सुनिश्चित हो सके।
3. प्रत्येक शिविर में इन्टरनेट सुविधा युक्त कम से कम चार कम्प्यूटर सेट (ऑपरेटर सहित) की व्यवस्था प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रत्येक शिविर में आधार पंजीकरण हेतु अधिकृत आधार एजेंसी का एक काउन्टर लगाया जाय,ताकि आवश्यकतानुसार आधार कार्ड बनाया जा सके अथवा उसमें कोई संशोधन किया जा सके। उप विकास

आयुक्त, कैमूर(भभुआ) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निर्धारित रोस्टर के अनुरूप शिविरों में अधिकृत आधार एजेन्सी का एक काउन्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

5. इसी प्रकार प्रत्येक शिविर में बैंक खाता खोलने हेतु कम से कम एक काउन्टर की व्यवस्था की जानी है। वरीय उप समाहर्त्ता,बैंकिग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक,कैमूर को निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निर्धारित रोस्टर के अनुरूप शिविरों में बैंक खाता खोलने हेतु एक काउन्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. छूटे हुए/भुगतान नही मिल रहे पुराने पेंशनधारियों को अपने दावा के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाणक यथा (पेंशन पासबुक अथवा स्वीकृत्यादेश की प्रति/पूर्व में पेंशन प्राप्त होने का कोई अन्य प्रमाणिक साक्ष्य (ख) पेंशन प्राप्त करनें हेतु बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति जिसमें नाम एवं बैंक खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो (ग) आधार कार्ड अथवा कोई अन्य प्रमाणिक परिचय पत्र। जिनके पास आधार कार्ड अथवा बैंक खाता नही हो तो शिविर में ही कार्ड बनवाया एवं खाता खुलवाया जाय। इस आशय का प्रचार–प्रसार सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से तथा पंचायतों के नोडल पदाधिकारी के माध्यम से ससमय करवाना सुनिश्चित करेंगे।
7. उपरोक्त प्रमाणक के आधार पर ई–लाभार्थी पोर्टल/भुगतान पंजी से जॉच कर ली जाय। सत्यापित योग्य पेंशनधारी का डाटा यदि ई–लाभर्थी पोर्टल पर अपलोड नही है, तो तत्काल ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।
8. वैसे पेंशनधारी जिनका आधार नही है उनका आधार पंजीकरण कर Enrollment ID को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।
9. इस बात का ध्यान रखा जाय कि ई–लाभार्थी पोर्टल में पेंशनधारी का नाम, बैंक खाता एवं आधार में उनका नाम समान हो, अन्यथा ई–लाभार्थी पोर्टल में नाम दर्ज होने पर भी इनके खाता में राशि का भुगतान नही हो सकेगा। अतः शिविर में ऐसे मामलों में नामों के इस अंतर को दूर कर संबंधित अभिलेखों (पेंशन पंजी/बैंक खाता/आधार कार्ड) में सुधार कर लिया जाय। शिविर में संबंधित पंचायत सचिव उपरोक्त वर्णित सभी उपलब्ध अभिलेखों के साथ उपस्थित रहेंगे तथा त्रुटि निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। पोर्टल में दर्ज मामलों में पंचायतवार PFMS अस्वीकृत पेंशनधारियों की सूची डाउनलोड कर तत्काल त्रुटि निराकरण करते हुए पुनः वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
10. इस बात का भी ध्यान रखा गया कि यदि कोई 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी वृद्धावस्था पेंशन के साथ साथ अन्य पेंशन यथा विधवा पेशन, दिव्यांगता पेंशन के लिए योग्य हो तो उनको वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर विधवा/दिव्यांगता पेंशन में दर्ज किया जाय। इसी प्रकार कोई पेंशनधारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनो की पेंशन योजना के लिए योग्य हों तो उन्हें भारत सरकार की पेंशन योजना के तहत दर्ज किया जाय।
11. 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारी को वृद्धावस्था पेंशन के तहत ही दर्ज किया जाय ताकि पेंशनधारी को अधिकाधिक पेंशन मिल सके। संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव ऐसे मामलों की अनुशंसा तत्काल कर आवश्यक सुधार करवाना सुनिश्चित करेंगे।
12. PFMS द्वारा स्वीकृत परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा Lock करने हेतु लंबित मामलों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बिना शिविर के आयोजन की प्रतीक्षा किये अविलम्ब Lock किया जाय तथा तत्क्षण उसे सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा भी Lock कर दिया जाय। इसमें एक दिन का भी विलम्ब नही किया जाय।
13. उपरोक्त शिविर के आयोजन के संबंध में समाचार पत्र, माईक, पोस्टर आदि की सहायता से सूचना दी जाय। इस विशेष अभियान (शिविर) का प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी कैमूर अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगें। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर माइक तथा पोस्टर इत्यादि की सहायता से प्रचार–प्रसार करायेंगे। मुख्यालय स्तर से प्राप्त शिविर से संबंधित सूचना प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रचार–प्रसार हेतु सूचना प्रारूप का आवश्यकतानुसार उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही शिविर की सूचना जनप्रतिनिधियों को देना सुनिश्चित करेंगे,ताकि शिविर का सफल सुनिश्चित हो सके।

14. प्रत्येक प्रखण्ड में अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि विशेष अभियान (शिविर) से संबंधित प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
15. शिविर में First Aid, की व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर अपने स्तर से संबंधित PHC के प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित करेंगे।
16. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल कैमूर (भभुआ) को निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारीयों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित रोस्टर के अनुरूप शिविरों में पेयजल की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. पुलिस अधिक्षक, कैमूर अपने स्तर से शिविर में सुरक्षा की व्यवस्था हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निदेशित करेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

जिला पदाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक 358 /सा0सु0 दिनांक 30.12.17

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद,भभुआ एंव नगर पंचायत मोहनिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड के सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय उप समाहर्त्ता,बैंकिंग/जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक,कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी,भभुआ/मोहनिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक,कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक,कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक,सामाजिक सुरक्षा एंव निःशक्तता निदेशालय,बिहार,पटना को उनके पत्रांक–1837 दिनांक–21.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पुराने पेंशनधारी कृपया ध्यान दें :–

✓ **क्या आपको पेंशन मिल रहा है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्ण पेंशन मिल रहा है या नहीं**

- पेंशनधारी पेंशन संबंधी सूचना **टोल फ्री नं0– 18003456262** पर अथवा वेबसाईट **www.elabharthi.bih.nic.in** अथवा प्रखण्ड कार्यालय / जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि पेंशनधारियों को सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है और अब तक मार्च, 2016 से जून, 2017 तक अर्थात कुल 16 माह की राशि रू0 400/– प्रतिमाह की दर से उनके खाते में भुगतान कर दिया गया है।

✓ **क्या आपको पूर्व में पेंशन मिलता था और अब पेंशन नहीं मिल रहा है**

- वैसे पेंशनधारी जिनको पूर्व में शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान हो रहा था, परन्तु किसी कारणवश उनको वर्त्तमान में बैंक खाते में कोई पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है, उनके लिए प्रखण्ड कार्यालय में दिनांक–05.01.2018 से 14.01.2018 और फिर 27.01.2018 से 17.02.2018 तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
- यह शिविर पेंशन भुगतान के लिए नहीं है, सिर्फ पुराने पेंशनधारी जिन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है मात्र उन्हीं के लिए है। नए आवेदक जिनका अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं हुआ है, उनके लिए यह शिविर नहीं है। नए आवेदक पूर्व की भाँति अपना आवेदन आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर ही जमा करें।
- पेंशन नहीं मिल रहे पुराने पेंशनधारी निम्नलिखित कागजात/साक्ष्य के साथ शिविर में उपस्थित होंगे :–
  (1) स्वीकृत्यादेश की प्रति/पेंशन पासबुक अथवा अन्य कोई प्रमाणिक साक्ष्य।
  (2) बैंक खाता की छायाप्रति जिसमें नाम एवं बैंक खाता संख्या स्पष्ट अंकित हो।
  (3) आधार कार्ड की छायाप्रति।
- विशेष परिस्थिति में अति वृद्ध/विकलांग व्यक्ति उक्त साक्ष्य के साथ अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को भी शिविर में भेज सकते हैं।
- वैसे पेंशनधारी जिनका बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था भी शिविर में उपलब्ध होगी। वैसे पेंशनधारी अपने साथ सभी आवश्यक कागजात के साथ दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो भी अपने साथ लायेंगे।
- वैसे पेंशनधारी जिनका आधार पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए आधार पंजीकरण की भी व्यवस्था शिविर में उपलब्ध होगी।

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता, बिहार

PR No.-11678 (SWD) 2017-18

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।